

प्रेषक,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक २७ नवम्बर, 2012

विषय : चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत अनुदान सं०-३७ से द्वितीय किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-५९(६)/पीएफ-I/२०११-९६१, दिनांक २१.११.२०११ द्वारा जारी केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि के आधार पर उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-१९६२/७६/एक/आई०एच०एस०डी०पी०/२०१२-१३, दिनांक ३० अक्टूबर, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आई०एच०एस०डी०पी० योजनान्तर्गत जनपद-मथुरा की निकाय-वृन्दावन की २७६ आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के ७८ आवासों की ०१ परियोजना, जिसकी रु० १८८.१६ लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय शासनादेश संख्या-८७५/६९-१-११-२७(बजट)/२००९टीसी-।, दिनांक २६ मई, २०११ द्वारा निर्गत की जा चुकी है, के लिये चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अनुदान संख्या-३७ से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-६ में अकित केन्द्रांश+राज्यांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रु० ५१,०८,०००.०० (रु० इक्यावन लाख आठ हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रथम किश्त (केन्द्रांश+राज्यांश) की धनराशि शासनादेश संख्या-२१७८/६९-१-०९-२७(बजट)/२००९टीसी-।, दिनांक १० जून, २००९ तथा द्वितीय किश्त (५० प्रतिशत) की ५० प्रतिशत धनराशि शासनादेश संख्या-८७५/६९-१-११-२७(बजट)/०९टीसी-।, दिनांक २६.०५.२०११ द्वारा जारी की जा चुकी है।

(धनराशि लाख रु० में)

क्रमांक	जनपद/ परियोजना	कुल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की अवशेष धनराशि, लेवर सेस व सेन्ट्रेज चार्जेज सहित, स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि अवस्था० सुविधाओं सहित। (केन्द्रांश+राज्यांश)।
१	२	३	४	५	६
१.	मथुरा/वृन्दावन	२७६	६३०.५१	७८	५१.०८
	योग				५१.०८

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएँ पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवादों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- उक्त परियोजना हेतु स्वीकृत अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा

- ८ —
- में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) महालेखाकार (लेखा), उ०प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
 7. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी०एल०ए० में नहीं रखी जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रातिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२ के शासनादेश संख्या-बी-२-२९८/दस-२०१२-२४४/२०११, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-३/४ का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 9. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का भिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायें।
 10. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस०एल०एन०ए० (सूडां), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पौषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि यदि कोई हो तो उसे राज कोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 12. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम०ओ०य०) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
 2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-३७ के अंतर्गत लेखा शीर्षक "4217-शहरी विकास एवं पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-६०-अन्य शहरी विकास योजनाये-०५-निर्माण-०३-इन्ट्रीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के.८०/रा.२०-के.+रा.)-३५-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
 3. यह आदेश वित्त विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- १६३५ (१) / ६९-१-१२-२७(बजट) / २००९टी०सी०-१, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, २० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि, कमला नेहरू मार्ग, इलाहाबाद।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, मथुरा।
4. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१ को केन्द्रांश प्राप्त होने विषयक भारत सरकार के पत्रांक-५९(६) / पी०एफ०-१ / २०११-९६१, दिनांक 21.11.2011 के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनु०-२/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-८
6. नियोजन अनु०-४/नगर विकास (कम्प्यूटर कक्ष) वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. सहायक वेब मास्टर/संयुक्त निदेशक, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

अमृजा से,

(आर०पी० सिंह)
उपसचिव।